

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर 302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/(एस-04/2013)/अलेसे-II/2024

दिनांक:- 07/03/24

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 60/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा श्री सुखवीर (मेरिट नं. 04 बैच-2013 लिंक नं. 9954) को कनि. लेखाकार के पद पर नियुक्ति देते हुए राज0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ सेठान, सीकर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री सुखवीर द्वारा दिनांक 03.07.2017 को कार्यग्रहण किया गया।

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राज0सामु0स्वा0केन्द्र, रामगढ, सेठान (सीकर) से प्राप्त पत्रांक 116 दिनांक 06.03.2024 के अनुसार श्री सुखवीर का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन में चयन होने पर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के अनन्तिम नियुक्ति आदेश क्रमांक एफ1(23-33)RPSC/Appt. /HRD/2022/902 दिनांक 06.03.2024 के अनुसरण में पदस्थापन, राजकीय महाविद्यालय, चुरु में सहायक आचार्य के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के वर्तमान धारित पद से कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः श्री सुखवीर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर वर्तमान धारित सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। श्री सुखवीर अपने वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। नियमानुसार इनका सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर लियन रहेगा।

श्री सुखवीर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)/(एस-04/2013)/अलेसे-II/2024

दिनांक:- 07/03/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राज0सामु0स्वा0केन्द्र, रामगढ, सेठान (सीकर)।
3. कोषाधिकारी, सीकर।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. श्री सुखवीर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राज0सामु0स्वा0केन्द्र, रामगढ, सेठान (सीकर)।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)